प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2019**

विषयः- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-81 में वित्तीय वर्ष-2018-19 की स्वीकृत आवासों के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-439/सम्प्रेक्ष/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2018-19, दिनांक-07-05-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत आवासों हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 6.50 लाख वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव दिनांक 07.05.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के लाभार्थियों को स्वीकृत आवास के निर्माण की अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि से **रू0 6.50 लाख (रूपये छः लाख पचार हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-6/2018 /216/38-4-18-123(विविध)/2017 दिनांक 02.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-21/2018/937/38-4-18 123(विविध) /2017, दिनांक- 06.07.2018 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत हैं।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय प्रभावी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को यदि आहरित कर किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस- 16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/ आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) संबंधित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से ई-पेमेण्ट के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जायेगी।

(9) लाभार्थी को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुदान संख्या-81 के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा, तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेगें कि अनुदान संख्या-81 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजनान्तर्गत बजट प्राविधान की सीमा मे व्यय किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(12) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा।

(13) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा ।

(14) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अशोक कुमार,
विशेष सचिव ।

संख्या- 09/2019/229(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(व्यय-व्ययक) अनुभाग-1
12. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
14. ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
15. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in